(172)

संख्या–608/XVIII-(2)/F/12-12(5)/2008

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली एवं बागेश्वर।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 19 अक्टूबर, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 में मानसून अवधि के दौरान जनपद चमोली एवं बागेश्वर में बादल फटने एवं भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में जनपद चमोली एवं बागेश्वर में मानसून अवधि के दौरान बादल फटने एवं भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त विभागीय/सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यो हेतु क्रमशः ₹ 1.00–1.00 करोड़ कुल ₹ 2.00 करोड़ **(₹ दो करोड़ मात्र)** की धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के शासनादेश संख्या–32-7/2011-NDM-I, दिनांक 16 जनवरी, 2012 के माध्यम से राज्य आपदा मोचन निधि से धनराशि स्वीकृत/व्यय किये जाने सम्बन्धी मानक पुनरीक्षित कर दिये गये है। जिसकी प्रति आपको पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है, का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

2. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं से हुई क्षति में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से व्यय हेतु संशोधित दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या–10 में भारत सरकार द्वारा विभागवार तात्कालिक प्रकृति के कार्य स्पष्ट किये गये हैं, तथा तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यो में मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी है। अतः दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यो यथा–मार्गो एवं पुलों, पेयजल आपूर्ति से संबन्धित अवसंरचनायें (हैण्ड पम्प, कुंए, टैंक, क्षतिग्रस्त पाइप लाइन इत्यादि), विद्युत (केवल ऐसे क्षेत्रों जहां तात्कालिक रूप से विद्युत व्यवस्था की जानी होगी), प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, पंचायतों की सामुदायिक परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु धनराशि व्यय की जायेगी तथा निर्धारित अवधि में ही मरम्मत कार्य पूर्ण किये जायेंगे।

3. आहरण व व्यय केवल उन मरम्मत/पुनर्स्थापना कार्यो के लिए किया जायेगा, जो एस. डी.आर.एफ. के दिशा निर्देशों में अनुमन्य हैं एवं जिनके लिए राज्य स्तरीय समिति से नियमानुसार आवश्यकता का आंकलन करा लिया गया हो और व्यय आंकलन के अनुसार ही किया जायेगा।

4. मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यो हेतु उक्त स्वीकृत ₹ 1.00 करोड़ की धनराशि संबन्धित जिलाधिकारी द्वारा लो0नि0वि0 के तकनीकी अधिकारियों (समक्ष स्तर) से तकनीकी परीक्षणोंपरान्त ही प्रदान की जायेगी। शासनादेश संख्या–495, दिनांक 30.08.2012 द्वारा

Fol/GO 08-9 All DMS CRF

क्रमशः--2

<u>जिलाधिकारियों के वित्तीय स्वीकृति अधिकार ₹ 25.00 लाख से बढ़ाकर ₹ 1.00 करोड़ किये</u> गये है। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2012–13 में मानसून अवधि के दौरान क्षतिग्रस्त सार्वजनिक एवं विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों हेतु ही लागू होगी।

5. मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यो हेतु स्वीकृत धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के साथ आहरित की जायेगी–

1. आगणन में उल्लिखित दरों के विश्लेषण को संबंधित विभाग के अधिशासी अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त की जाय।
2. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
3. कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये है वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं। स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।
4. कार्य कराने से पूर्व स्थल का आवश्यकतानुसार विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय। जिन आगणनों में स्लिप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय तथा इसका सत्यापन अधिशासी अभियन्ता स्वयं करें।
5. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरी मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिलाधिकारी एवं निर्माण ईकाई का होगा।
6. स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है। स्वीकृत धनराशि नव निर्माण कार्यो में कदापि व्यय नहीं की जायेगी।
7. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट अथवा इस बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/ विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जाये।

6. वास्तविक क्षति के कार्यो पर ही धनराशि स्वीकृत की जायेगी। सामान्य मरम्मत के कार्य दैवी आपदा की परिधि में नहीं आते हैं। अतः सामान्य मरम्मत के कार्यो, नव निर्माण तथा विकास कार्यो में धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

7. दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यो के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय, कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, अनियमितता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के संबंध में जांच कर धनराशि के दुरूपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध प्रथम दण्ड के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एफ.आई.आर. (F.I.R.) की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

क्रमशः-3

8. क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गो एवं हल्का वाहन मार्गो के प्रस्तावों पर वास्तविक क्षति के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जायेगी। प्रस्तावित मार्ग की कुल लम्बाई एवं क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई अनुसार लो0नि0वि0 द्वारा प्रति कि0मी0 सड़क निर्माण हेतु निर्धारित मानकों के आधार पर मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु मूल आगणन के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

9. अश्व मार्ग जन सामान्य के उपयोग में सर्वथा सुलभ नहीं होते हैं। अतः अश्वमार्गो के प्रस्ताव पर राज्य आपदा मोचन निधि से स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। यदि अश्व मार्गो का उपयोग पैदल मार्ग के रूप में जन सामान्य द्वारा उपयोग होता है तो इस स्थिति में आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

10. पैदल मार्गो के प्रस्तावों में वास्तविक क्षति के अनुरूप ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी। मार्ग की कुल लम्बाई, क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई तथा मार्ग की मरम्मत कहां से कहां तक होनी है, यह स्पष्ट किया जाय। लो0नि0वि0 द्वारा प्रति कि0मी0 सड़क मरम्मत हेतु निर्धारित मानकों के आधार पर मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु अन्य आगणन प्रस्ताव के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

11. दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यो के जिला पंचायत, विकास खण्ड एवं स्थानीय निकाय आदि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्राप्त आगणनों, जहां अधिशासी अभियन्ता स्तर के अभियन्ता न हो, वहां लो0नि0वि0 के अधिशासी अभियन्ता से प्रमाणित/सत्यापित कर, दरें प्रतिहस्ताक्षरित करायी जाए।

12. दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यो के संबंध में उप जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के व्यय हेतु निर्धारित नवीन मद एवं मानकों से आच्छादित होने एवं निर्धारित समयावधि के अन्दर क्षति होने की पुष्टि तथा प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण कर सुस्पष्ट संस्तुति के बाद ही कार्य योजना सक्षम स्तर से स्वीकृत की जायेगी।

13. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित जिलाधिकारी/ निर्माण एजेन्सी/संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

14. कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण कर लिये जायेंगे और लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा। कार्य कराते समय वित्तीय नियमों एवं टेण्डर आदि विषयक नियमों का अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

15. कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो ली जायेगी। कार्य की सत्यता एवं गुणवत्ता का प्रमाणीकरण जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। तद्नुसार ही कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर राज्य आपदा मोचन निधि से निर्मित कार्ययोजना का नाम, लागत, दिनांक तथा मद का नाम सीमेन्ट कॉक्रीट/बोर्ड पर अंकित कर दिया जाए।

16. भारत सरकार द्वारा नामित एक स्वतंत्र एजेन्सी से भी जनपदों के कार्यो का निरीक्षण व मूल्यांकन किया जायेगा। अतः जनपद स्तर पर कार्यो में निरीक्षण हेतु जिलाधिकारी द्वारा टीम गठित की जायेगी, जिसके द्वारा कार्य की क्षति, धनराशि के सही उपयोग गुणवत्ता आदि की समीक्षा की जायेगी।

17. जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित किया जायेगा।

18. वित्तीय वर्ष 2012–13 तक राज्य आपदा मोचन निधि से जारी समस्त स्वीकृतियों तथा इसके सापेक्ष व्यय/समर्पित धनराशि का लेखा मिलान संबंधित जिलाधिकारी द्वारा महालेखाकार

कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में निश्चित रूप से प्रत्येक तीन माह में सुनिश्चित कराया जायेगा।

19. उपरोक्त निर्देशानुसार धनराशि स्वीकृत की जायेगी। राज्य आपदा मोचन निधि के व्यय हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों/प्रक्रिया का अनुपालन न होने पर संबंधित जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

20. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2013 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाये और यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

21. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण सहत-05 राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-00-13-आपदा सहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

22. यह आदेश वित्त विभाग के अ. शा. संख्या-96 NP/XXVII-5/2012, दिनांक 12, अक्टूबर, 2012 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव

संख्या-608 (1)/XVIII-(2)/F/12-12(5)/2008 एवं तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल।
4- अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5- कोषाधिकारी, चमोली एवं बागेश्वर।
6- निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
7- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8- राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9- प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10- बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
11- वित्त अनुभाग-5
12- धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव